



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 1175 /अकादमी/संबद्धता/विधि संकाय 2021

भोपाल, दिनांक 1-10-2021

अधिसूचना

बार कौंसिल आफ इण्डिया नई दिल्ली (बी.सी.आई.) द्वारा जारी निर्देशों (विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 में अनुशंसित) के तारतम्य में जारी विश्वविद्यालय की अधिसूचना कमांक 2922/अकादमी/2017 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार एवं बी.सी.आई.) द्वारा जारी एकेडमिक कैलेंडर एवं आयुक्त मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार संबद्धता/ निरंतरता का पत्र वि.वि. द्वारा प्रति वर्ष माह दिसम्बर में जारी किया जाना अनिवार्य किया गया है। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विधि पाठ्यक्रम एल.एल.बी. I, II, III, बी.ए.एल.एल.बी. ऑनर्स भाग I, II, III, IV, V. एल.एल.एम. I, II सत्र 2022-23 के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों की संबद्धता/निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि एवं अन्तिम तिथियाँ निम्नानुसार है।

1	नवीन शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता आवेदन तिथि समान्य शुल्क के साथ अन्तिम तिथि	दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 15.10.2021 तक
2	नवीन शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता आवेदन तिथि (मूल शुल्क का 50% बिलम्ब शुल्क के साथ) अन्तिम तिथि	दिनांक 16.10.2021 से दिनांक 25.10.2021 तक
1.	पूर्व से संचालित शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों एवं विधि पाठ्यक्रमों हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता आवेदन केवल निरंतरता आवेदन पत्र समान्य शुल्क के साथ अन्तिम तिथि	दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 15.10.2021 तक
2.	पूर्व संचालित शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों एवं विधि पाठ्यक्रमों हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता आवेदन केवल निरंतरता आवेदन पत्र (मूल शुल्क का 50% बिलम्ब शुल्क के साथ) अन्तिम तिथि	दिनांक 16.10.2021 से दिनांक 25.10.2021 तक


विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.8.2019 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.9.2019 में अनुमोदन पश्चात् मूल शुल्क का 50 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के साथ वि.वि. में जमा करने का निर्णय लिया गया।

समस्त संबद्धता/निरंतरता शुल्क संबंधी आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किए जावेंगे। समस्त आवेदन शुल्क (विद्यार्थि प्रपत्र) में आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित शुल्क सहित 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबद्धता प्रयात करने के उपरान्त आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल एवं बी.सी.आई. नई दिल्ली की भाव्यता विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कोई भी प्रवेश भाव्य नहीं होगा।

सीगल एजुकेशन रूल, 2008 के समस्त प्रावधानों सहित विश्वविद्यालय/बी.सी.आई. द्वारा जारी निर्देशों एवं मापकण्डों को पूर्ण करने का संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

अतः यदि भाव्य हो तो नस्ती अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ एवं अधिसूचना की स्वक्ष प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

भोपाल, दिनांक

899-1-10-2021

1176

पु.कमांक /अकादमी/संबद्धता/विधि 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
6. मिज नस्ती

UP-कुलसचिव, अकादमी

